

फर्द अहकाम

य उपरखण्ड अधिकारी जयपुरागढ़
राजारी बनाम रामजीलाल वगै
 संख्या/वर्ष : 33 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/9/20	<p>आपकी पेश हुई <u>P. O. का</u> <u>कार्य कार्य में बाध</u> <u>कारण दे दी गई। पूर्वानुसार वास्तविक</u> <u>दिनांक 9/10/20 को पेश हो</u></p>	
9/10/20	<p>आपकी पेश हुई <u>P. O. का</u> <u>कार्य कार्य में बाध</u> <u>कारण दे दी गई। पूर्वानुसार वास्तविक</u> <u>दिनांक 29/10/20 को पेश हो</u></p>	
29/10/20	<p>आपकी पेश हुई <u>P. O. का</u> <u>कार्य कार्य में बाध</u> <u>कारण दे दी गई। पूर्वानुसार वास्तविक</u> <u>दिनांक 9/11/20 को पेश हो</u></p>	
9/11/20	<p>आपकी पेश हुई <u>P. O. का</u> <u>कार्य कार्य में बाध</u> <u>कारण दे दी गई। पूर्वानुसार वास्तविक</u> <u>दिनांक 18/11/20 को पेश हो</u></p>	
18/11/20	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>कमील अउप पक्ष अउप</u> <u>पक्षों पर पूर्वानुसार वास्तविक तथ्य/जवाब</u> <u>आपकी कोषावा कस्तु हेतु</u> <u>दिनांक 12/11/20 को पेश हो</u></p>	<p><u>UP</u></p>
21/11/20	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>कमील</u> <u>अउप पक्ष अपेक्षित। कमील</u> <u>अउप पक्षों की दृष्टि आपकी</u> <u>पर सुनी गई तथा उपरोक्त पक्ष</u> <u>120 पर अउप पर सुनी गई। पक्षों</u></p>	<p><u>उपरखण्ड अधिकारी</u> <u>जयपुरागढ़</u></p>

उपरखण्ड अधिकारी
 जयपुरागढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरखंड इशिकारी जनावारमगड (पुनपुर)

हजारी बनाम रामजीलाल को

मुकदमा संख्या/वर्ष : 33 / 2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत चारा 120 LR Act में अंकित किया कि ग्राम भावनी तहसील जनावारमगड जिला पुनपुर में आबादी खण्ड न० 255 खण्ड 0-5600 हेक्टर खण्ड न० 256 खण्ड 0-1400 हेक्टर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। कब्रों का कोई एक अधिकार नहीं है। अतः पत्थर बाड़ी के आदेश दिए जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>वकील अपाधी ने अपने आव्र में अंकित किया कि प्रार्थी की भूमि व पड़ोसी खातेदारी की भूमि में सरासरी में मकबरा व हाल साफ नकल एक-दूसरे के विपरीत है एवं क्रिप्टन है। जिसका दुस्तीकरण कराए बिना पत्थर बाड़ी करने से उसके अग्रज प्रभावित होकर उनकी कब्रों की प्रार्थी बाड़ी अधिकारी नहीं है साफ नकल व मोटे पर काफिर अग्रज पत्थर बाड़ी की कार्यवाही किया जा सकता है रजिस्ट्रार नकल में क्रिप्टन तस्वीर के कारण प्रार्थी बाड़ी होना सीमा जोड में का स्वतंत्र अपाधी बाड़ी की प्रतिन व पेजे को ही रखने हेतु प्रार्थी बाड़ी अपाधी है। अतः प्रार्थी बाड़ी की बरमोपूरी में किया गया। प्रार्थी बाड़ी में प्रार्थी नकल के नकल नहीं किया है इसलिए प्रार्थी बाड़ी किया जाके</p>

उपरखंड इशिकारी
जनावारमगड

फर्द अहकाम

अधिकाारी जगद्वारा मंगल (जयपुर)
 हजारी बनाम रामजीलाल वंश
 33/2020

संख्या/वर्ष : विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>उत्तरपक्षों की वकील सुनी वशिष्ठ वकील ने अपनी वकील में प्रार्थना पत्र के माध्यम से पेशवा एवं अपाधी वकील ने अपने पत्र में अंकित मांगों को वकील में पेशा।</p> <p>उत्तरपक्षों की वकील सुनी व पत्राली का कलेक्टर को प्रस्तुत प्रार्थना अन्वयित धारा 120 PR Act को स्वीकार किया जाता है यदि किसी उत्तरपक्ष न्यायालय का स्थापन आदेश हुआ हो तो तदानील जगद्वारा को निर्देश दिए जाते हैं कि वादगत भूमि खण्ड 255 व 256 वाले ग्राम भावनी तहसील जगद्वारा मंगल जिला जयपुर की धारा 120 की सीमाओं को सीमांकन कर पट्टपरगही करना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय की प्रति तदानील जगद्वारा को पालनाप ही अनुचित है।</p> <p>पत्राली को पत्र सुना है कि नमूने के काम हो। यदि प्रति वकील उपलब्ध हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p>	

अधिकाारी
 जगद्वारा मंगल